घोषणा-पत्र

मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल

Mera Adhikaar Rashtriya Dal

(MARD)

Party

MANifesto

A real ***manifesto*** for **MAN**

Assembly Constituency
General Election - 2022

बेटों के सम्मान में,
'मर्द' उतरे मैदान में..

www.mardtheparty.com

घोषणा-पत्र

A पुरुष सम्मान हेतु -

1. महिला कानूनों द्वारा पुरुषों का शोषण रोकने व उनके सम्मान हेतु “पुरुष सुरक्षा बिल” लाया जायेगा|
2. एक-तरफा महिला कानूनों के सापेक्ष पुरुष पक्ष की सुनवाई के लिए सरकारी स्तर पर “Men’s Power Line” आरम्भ किया जायेगा|
3. पुरुषों के लिए “पुरुष कल्याण मंत्रालय” व “राष्ट्रीय पुरुष आयोग” का गठन किया जायेगा ताकि कोई भी नीति व कानून बनते समय पुरुषों का पक्ष भी रखा जा सके| पुरुषों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान के अनुकूल योजनायें बनाई जाएँगी|
4. पति-परिवार की माता व बहनों (सास व ननदों) जिन्हें सरकार अपराधी मानकर कार्यवाही करती है, उनके भी सम्मान की हर हाल में रक्षा की जाएगी|
5. कोई भी कंपनी, किसी पुरुष पर चल रहे आपराधिक मामलों के आधार पर, किसी भी कर्मचारी की भर्ती या उसकी सेवा, समाप्त नहीं करने दिया जायेगा|
6. भुगतान की गई “गुजारा-भत्ता राशि” को कर-मुक्त करने का प्रावधान किया जायेगा|
7. महिला तुष्टिकरण के नाम पर पुरुष विरोधी प्रचार-प्रसार पर रोक लगायेंगे|

घोषणा-पत्र

B शिक्षा -

1. सिर्फ बेटी ही नहीं बल्कि बेटा-बेटी दोनों को पढ़ाएंगे, इसके लिए बाल विकास मंत्रालय को अलग किया जायेगा|
2. बिना किसी जाति-धर्म का भेद किये, सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को मुफ्त शिक्षा|
3. बच्चों के पाठ्यक्रम में “घरेलू हिंसा” का एकतरफा लिंगभेदी नफरती जहर घोलने वाले पाठ्यक्रम को बदलकर नैतिक शिक्षा को अनिवार्य किया जायेगा|
4. बेटा-बेटी दोनों को अधिकार से पहले परिवार व समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी सिखायेगे|
5. बच्चों को बोझिल बस्तों से मुक्ति दिलाकर स्कूल में ही उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी|
6. होम वर्क की बजाय “दादा-दादी की पाठशाला” को ग्राम/मोहल्ला स्तर पर बनायेंगे जिसमें छोटे बच्चे अपनी पुरानी पीढ़ी के अनुभव लेंगे| दादा-दादी का अकेलापन दूर होगा व बच्चे मोबाइल की दुनिया से हट सकेंगे और मजबूत सामाजिक ढांचा विकसित होगा|
7. कक्षा 10 के बाद से बच्चे के रूचि के अनुसार व्यवसायिक-शिक्षा व प्रराम्भिक स्तर के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जायेगी|

C परिवार कल्याण हेतु -

1. परिवार ही एक राष्ट्र की इकाई होती है, इसलिए “परिवार बचाओ – देश बचाओ” की नीति पर पारिवारिक ढांचे को मजबूत किया जायेगा ताकि “भारतीय संयुक्त परिवार परम्परा” को पुर्नजीवित किया जा सके और बुजुर्गों को उनका खोया सम्मान वापस दिलाया जा सके|

2. वैवाहिक विवाद को थाना पुलिस से दूर, सिविल प्रकृति का, रखा जायेगा और “परिवार कल्याण समिति” को पुर्नजीवित किया जायेगा, ताकि रिश्तों में गहरी दरार न आये और दबाव की बजाय सम्मानजनक पारिवारिक/सामाजिक समझौते की गुन्जायिश बनी रहे|

3. पति-परिवार से विवाद की स्थिति में, मायके या अन्यत्र रह रही महिला को उसके मायके की संपत्ति में हक (right to use) दिलाया जायेगा साथ ही उसको भाई के समान जिम्मेदारी भी दी जाएगी ताकि विवाह के बाद कोई बेटी को बोझ न समझे|

4. पारिविरिक विवादों में, पुलिस द्वारा आपराधिक जांच से संबंधित सीआरपीसी संशोधन - शब्द "गिरफ्तारी" को अधिकतम 24 घंटे की “सम्मानजनक न्यायिक अभिरक्षा" से बदला जाएगा।

5. दोषसिद्धि से पहले कोई जेल नहीं, व वैवाहिक विवादों में अधिकतम 24 घंटे की “न्यायिक अभिरक्षा” का प्रावधान किया जायेगा|

6. झूठे आपराधिक मामले दर्ज कराने वालों को, दोषी जितनी समान सजा करवाने के लिए, सीआरपीसी में नई धारा को जोड़ा जायेगा|

7. बरी किए गए अभियुक्तों का सम्मान, पद, कैरियर, जीवन के साथ पुनर्वास की व्यवस्था की जायेगी|

8. वैवाहिक विवाद के मामलों में बच्चों हेतु “साझा पालन-पोषण” (Shared Parenting) कानून बनाकर लागू किया जायेगा|

घोषणा-पत्र

D सामाजिक व लैंगिक भेद मिटाने हेतु-

1. एसिड अटैक व अन्य गंभीर अपराधों में, राहत/मुआवजा व्यवस्था में, पुरुषों के साथ लिंग आधरित भेद-भाव नहीं किया जायेगा|

2. महिला तुष्टिकरण के लिए बने “अमान्य ट्रिपल तलाक”, “लव-जिहाद” और “पकड़वा-ब्याह” जैसी सिर्फ पुरुष विरोधी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी|

3. बलात्कार व दुष्कर्म जैसे आरोप, मात्र पीडिता के बयान पर आधारित न होकर, मेडिकल को अनिवार्य किया जायेगा| मेडिकल में पुख्ता पुष्टि (डीएनए टेस्ट आदि) के बाद ही गिरफ्तारी करी जाएगी|

4. मेट्रो ट्रेन व बसों में पुरुषों के लिए भी सीट आरक्षित की जाएगी ताकि महिला सम्मान के नाम पर पुरुषों को जबरन सीट से न उठाया जा सके व पुरुषों को भी ट्रेन व बस में इज्ज़त से बैठने का अधिकार मिल सके| महिला को मुफ्त यात्रा की बजाय, सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर ‘व्यक्ति’ को मुफ्त/छूट दी जाएगी|

5. ड्यूटी के दौरान पुलिस के लिए “Body Worn” (with audio) पहनना व पब्लिक डोमेन पर लाइव रखना अनिवार्य किया जायेगा |

6. शादी के नाम पर आर्थिक शोषण / झांसा / शारीरिक शोषण – इसे बलात्कार, यौन-शोषण, दुष्कर्म आदि की बजाय धोखाधड़ी का केस माना जाय व लिंगभेद रहित बनाया जायगा|

7. पुलिस या आर्मी में मरणोपरांत मिलने वाली समस्त राशि का 50% बच्चों के नाम आरक्षित हो, वृद्ध माता-पिता व अन्य आश्रित को कुल का 30% व पत्नी को 20% दिया जाय| बच्चों का संरक्षण व संपत्ति अधिकार पति-परिवार के हाथ में रहेगा|

8. लिंग के आधार पर, पुरुष के बराबर, महिला को नौकरी मिलने पर, महिला को भी पुरुष की भांति पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करना बाध्यकारी होगा व महिला को टैक्स में कोई छूट नहीं दी जाएगी|

9. राशन कार्ड में मुखिया के तौर पर घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम अंकित होगा फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष|

घोषणा-पत्र

E कृषि व संपत्ति अधिकार -

1. **अति आवश्यक - महिला तुष्टिकरण के नाम पर कृषि भूमि का टुकड़े-टुकड़े होना स्वीकार नहीं किया जायेगा, क्योंकि न ही यह परिवार हित में है और न ही देश हित में|**

2. विवाहित पुत्री को अधिकार के नाम पर, मायके की संपत्ति व कृषि भूमि में **right to sale** का विरोध किया जायेगा| सिर्फ विपरीत परिस्थिति (विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता आदि) में **right to use** ही मिलेगा| बेटी को परिवार की संपत्ति टूटने का जरिया नहीं बनने दिया जायेगा|

3. पिता के न रहने पर, दादा-दादी को बच्चों की जिम्मेदारी मिलेगी व दादा-दादी की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार बना रहेगा|

4. महिला को पुश्तैनी संपत्ति में **right to sale** सिर्फ उन्ही महिलाओं को मिलेगा जो शादी के समय स्वयं विदा न होकर, पति को विदा कराकर पति के साथ अपने मायके में रहेंगी, ठीक वैसे ही जैसे कि उसका भाई अपनी पत्नी के साथ रहता है व उसका भरणपोषण करता है| संपत्ति अधिकार एक पारिवारिक दायित्व निभाने का साधन व जिम्मेदारी है न कि Opportunity or Luxary.

5. जिन परिवारों में सिर्फ बेटियां हैं या उनके पुत्र परिवार सहित बाहर रहते हैं, उन गरीब वृद्ध माता पिता के भरण पोषण व देखभाल के लिए परिवार के वारिस सदस्यों की जिम्मेदारी तय की जाएगी व सरकार भी स्वास्थ्य व देखभाल सम्बन्धी व्यवस्था के लिए, बेरोजगारों के रोजगार देकर उन वृद्धों की सेवा व मदद करेगी|

F विविध -

1. **सर्वे –**
   i. NCRB को देश में हर मौत, अपराध, आत्महत्या का कारण दर्ज करना अनिवार्य कराना होगा|
   ii. NFHS को जेंडर न्यूट्रल सर्वे बनाने के लिए अपडेट कराया जाएगा|

2. **वरिष्ठ नागरिक –**
   i. वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ्य व अन्य सरकारी सुविधाएँ व सेवाएं, न्यूनतम औचारिकताओं के साथ, त्वरित समाधान कराया जायेगा|
   ii. पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने के लिए टीम बनाकर कार्य किया जायेगा|

3. **भरण-पोषण व महिला सम्मान –**
   भरण-पोषण प्रकरणों में आदेश केवल 6 माह (अधिकतम एक वर्ष) के लिए, इसी बीच राज्य सरकार द्वारा इन याचिकाकर्ता महिलाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था, क्षमता अनुसार अनुदान व कार्य देकर, सरकारी योजानों के अंतर्गत इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाय (न कि अधिकार के नाम पर पुरुष का शोषण किया जाय)| विवाद की स्थिति में, बच्चे के पिता का नाम, भरणपोषण व बच्चे का संपत्ति अधिकार - बच्चे के डीएनए टेस्ट के आधार पर ही तय किया जायेगा|

4. **PAN CARD पर पिता का नाम –**
   Single Parenting के मामले में पिता का नाम PAN CARD पर अनिवार्य किया जायेगा (किसी विवाद या गैंग-रेप के मामले में DNA टेस्ट के आधार पर)

5. **स्थानीय विकास व न्याय –**
   स्थानीय समस्या का हल व विकास का कार्य क्षेत्रानुसार किया जायेगा|

6. **पर-पुरुष व पर-स्त्री संबंध को लिंगभेद रहित अपराध घोषित किया जायेगा|**

7. **भारतीय संस्कृति के विरूद्ध, सामाजिक पतन का पर्याय बन रहे “Live-in-relationship” पर रोक लगाई जाएगी|**

---- ::0::----

It's time to recognize
and honor the
contributions and sacrifices
that a man makes
for his family and society.

'पुरुष सम्मान' के लिए बनी
विश्व की प्रथम् पार्टी
'MARD' पार्टी को
प्रत्येक परिवार के दो व्यक्ति
अवश्य वोट करें।

Vote for

M.A.R.D. *Party*